

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून  
INDIRA GANDHI NATIONAL FOREST ACADEMY, DEHRADUN



फल बहार हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना -2020  
Short term Tender Notice for Phal Bahaar-2020

निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय : 24/06/2020 (03:00 बजे)  
Date and time to Receipt the Tender: 24/06/2020(03:00 hrs.)  
निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 24/06/2020 (03:15 बजे)  
Date and time to opening the Tender: 24/06/2020 (03:15 hrs.)

(यह निविदा अकादमी की वेबसाईट [www.ignfa.gov.in](http://www.ignfa.gov.in) से डाउनलोड की जाएगी।)  
(This Tender will be downloaded from the Academy's website [www.ignfa.gov.in](http://www.ignfa.gov.in))

Government of India  
Indira Gandhi National Forest Academy,  
Post Office - New Forest, Dehradun

**Short term Tender notice for sale of litchi and other fruits**

Tenders are invited upto **24.06.2020** (3.00 pm) for contract of fruits/crop of total 560 trees including Mango, Litchi, Guava, Bael, Peach, Chakotara, Jackfruit, Rudraksh, Jamun and Dheu in the orchard of Indira Gandhi National Forest Academy, located near Dhartawala and Bajawala at Panditwari, Chakrata Road, Dehradun, for a period of one year (the current season-2020 crop). No tender shall be accepted after due date. If last date of submission of the tender (i.e. **24.06.2020**) happens to be a holiday at IGNFA, tenders opened on the next working day at 3.15 pm before the tenderers or their representatives. The tender will be valid as per terms & conditions laid down by the Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun.

**Submission of tender by a tenderer shall be considered as all conditions of the tender are accepted to him. All tenderers will have to deposit an Earnest Money Deposit of Rs.65,000/- (Sixty Five Thousand only) along with the tender, in form of a DD/FDR/Bank Guarantee issued by a nationalized bank in favour of the Director, Indira Gandhi National Forest Academy and payable at Dehradun. Tenders without DD/FDR/Bank Guarantee of Earnest Money Deposit shall be considered as cancelled.**

Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun reserves the right to accept or reject any of the tenders without assigning any reason. All disputes arising out of the tender shall be under the jurisdiction of Dehradun Court.

  
Estate Officer

**Indira Gandhi National Forest Academy Dehradun**


भारत सरकार  
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी,  
डाकघर- न्यू फॉरेस्ट, देहरादून

लीची एवं अन्य फलों के विक्रय हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून के अधीन फलों के बाग, धरतावाला एवं बाजावाला जो चकराता रोड पर पंडितवाड़ी के पास स्थित हैं के आम, लीची, अमरूद, बेल, आड़ू, चकोतरा, कटहल, रूद्राक्ष, जामुन और ढेऊ के कुल 560 पेड़ों की फसल के एक वर्ष (वर्तमान सत्र-2020 फसल) के ठेके हेतु दिनांक 24/06/2020 को 3.00 बजे अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है। इसके बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि किसी कारणवश दिनांक 24/06/2020 को छुट्टी हो जाती है तो निविदा अगले कार्यदिवस पर 3:15 बजे इच्छुक निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा निदेशक, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून द्वारा रखी गई शर्तों के अधीन मान्य होगी।

निविदा प्राप्त होने की दशा में यह माना जायेगा कि निविदादाता को निविदा की समस्त शर्तें मान्य हैं। प्रत्येक निविदादाता को अपनी निविदा के साथ रू 65000/- (पैंसठ हजार रूपये मात्र) की बयाना राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी डी०डी०/एफ.डी.आर./बैंक गारंटी के रूप में जिसका भुगतान देहरादून में हो सके, निदेशक, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी के नाम निरूपित कर अकादमी में जमा करना होगा। जिन निविदाओं के साथ बयाना राशि का डी०डी०/एफ.डी.आर./बैंक गारंटी नहीं होगी उन्हें निरस्त माना जायेगा।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून को किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा। निविदा के सभी विवादों को न्य क्षेत्र देहरादून न्यायालय होगा।

  
सम्पदाधिकारी  
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी

**Short term Tender Notice**

To,

The Director,  
Indira Gandhi National Forest Academy,  
New-Forest, Dehradun - 248006

Sir,

The applicant is submitting his tender for Phal Bahar for one year (2020) for Rs.....(in digits) ..... (in words). The EMD Rs.....(in digits) ..... (in words) in the shape of/F.D.R./Bank-Guarantee bearing no..... dated..... is also submit herewith.

Duly signed copy of the terms & conditions of the tender for collection of fruits from the orchard is attached. I accept all the terms stipulated in the tender document and I do hereby undertake to abide by them fully.

signature .....

Tenderer.....

Full Name- .....

father's Name.....

Full residential address .....

Aadhar Card Number .....

Date .....

## अल्पकालीन निविदा सूचना

सेवा में,

निदेशक,  
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी,  
न्यू फारेस्ट देहरादून – 248006

महोदय,

प्रार्थी एक वर्ष हेतु फल बहार की निविदा ₹.....(अंको में)  
₹.....(शब्दों में) वर्ष 2020 तक दे रहा हूँ और बयाना राशि  
₹.....(अंको में) ₹.....( शब्दों में) का एफ.डी.आर./बैंक गारंटी  
संख्या ..... दिनांक ..... साथ जमा कर रहा हूँ।

बाग के फलों के टेण्डर में वर्णित शर्तों की प्रतिलिपि हस्ताक्षर करके संलग्न की जाती है। मुझे निविदा दस्तावेज में वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तथा मैं इनके पूर्ण रूप से पालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर.....

निविदाकर्ता.....

पूरा नाम.....

पिता का नाम.....

घर का पूरा पता .....

आधार कार्ड नम्बर .....

तिथि.....

**Indira Gandhi National Forest Academy,  
Post Office - New Forest, Dehradun**

**Terms & Conditions**

Tenders are invited for auction of fruits from the orchard under Indira Gandhi National Forest Academy, Post Office - New Forest, Dehradun, situated near Panditwari on Chakrata Road, having total 560 trees (Litchi -377, Guava -112, Chakotara-1, Mango-64, Beil- 4, Jackfruit -1, Rudraksh-1), for the calendar year of 2020, as per following terms and conditions.

1. Tender should be accompanied by the tender deposit for one year and a FDR/Bank-Guarantee for Rs.65000/- (Sixty Five Thousand only) as Earnest Money deposit issued in favour of The Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun, payable at Dehradun. DD/FDR/Bank-Guarantee on account of earnest money deposit received from the tenderers whose tenders are not accepted, shall be returned.
2. Tender must be self-certified and duly accompanied by all required information. Incomplete tender will not be a valid one. The tender received without signature or without earnest money deposit or any other required details, will be treated as illegal.
3. Tenders from black-listed or indebted persons will not be accepted.
4. The tender will be opened on **24/06/2020** at 3.15 pm by the Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun or by the authorized officer nominated by him. If this day happen to be a holiday in the office, then the tenders shall be opened on the next working day at 3.15 p.m.

**5. Performance Security**

**On receipt of written notice from the academy, the successful bidder, within one week of the receipt of notice, will have to deposit a sum of Rs. 1,00,000/- (One Lac only) as Security deposit in the form of an FDR issued by any nationalized bank on favour of the Director, Indira Gandhi National Forest Academy, payable at Dehradun and should remain valid for 30 days after completion of the tender period.**

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी,  
डाकघर- न्यू फॉरेस्ट, देहरादून।

निबंधन एवं शर्तें

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी, डाकघर- न्यू फॉरेस्ट, देहरादून द्वारा अकादमी के अधीन फलों के बाग जो चकराता रोड पर पंडितवाड़ी के पास स्थित है जिसमें कुल 560 (लीची-377, अमरूद-112, चकोतरा-1, आम-64, बेल-4, कटहल-1, रूद्राक्ष-1), पेड़ों के फलों की नीलामी के लिए फलबहार कलेण्डर वर्ष 2020 के लिए निम्न शर्तों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

1. एक साल की निविदा राशि के साथ ₹65000/- (पैंसठ हजार रुपये मात्र) बयाना राशि का एक डी0डी0/एफ.डी.आर./बैंक गारंटी जो कि निदेशक, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून के नाम हो भेजा जाये जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत नहीं होगी, उसकी बयाना राशि का डी0डी0/एफ.डी.आर./बैंक गारंटी वापस लौटा दी जायेगी।
2. निविदा, चाही गयी समस्त जानकारी के साथ स्वयं के हस्ताक्षर से सत्यापित होनी आवश्यक है। अपूर्ण निविदा वैध नहीं होगी। बिना हस्ताक्षर, बिना बयाना राशि के साथ या अन्य वांछित विवरणों के बिना निविदा अवैध मानी जायेगी।
3. काली सूची में दर्ज तथा बकायादार व्यक्ति की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. निविदा दिनांक 24/06/2020 को अपराह्न 3:15 बजे निदेशक, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून के द्वारा या उनके द्वारा मनोनीत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जाएगी। यदि किसी कारणवश इस दिन कार्यालय की छुट्टी हो जाती है, तो निविदा अगले कार्यदिवस को 3.15 बजे खोली जाएगी।

5 निष्पादन प्रतिभूति –

सफल बोलीदाता को लिखित सूचना देने पर एक सप्ताह के अन्दर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा देहरादून में भुगतान योग्य, तथा निदेशक, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी के नाम में जारी ₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) की जमानत राशि सावधि के रूप में जमा करनी होगी, जो अनुबंध अवधि पूर्ण होने की तारीख के उपरांत 30 दिनों तक की अवधि के लिए होगी।

6. The tenderer should deposit the whole amount at once, he should deposit the same within two weeks from the acceptance notice. In case the tenderer fails to deposit the entire amount within two weeks from the acceptance notice, earnest money deposited by him shall be forfeited and academy shall dispose of the sanctioned tender by reselling it, for which, the tenderer himself will be responsible.
7. The Academy reserves the right to reject any tender without assigning any reason. Selected tenderer will be informed by post.
8. Tenderers are advised to visit and inspect the orchard and satisfy themselves on 'as is where is' basis about expected crop, etc. The institute does not bear any responsibility or assures in respect of quality of the crops.
9. From the date of acceptance of the tender till the expiry of the contract period, the Academy will not bear any kind of responsibility for any type of damage to the fruit crop.
10. Before opening of the tenders if the tenderer wish to withdraw his tender, he can withdraw the same through a written notice in this regard. Such tender will not be opened.
11. Once the tenders are opened, no tenderer will be allowed to withdraw his tender. After opening of the tenders, if the selected tenderer denies to perform the tender, the earnest money deposited by him shall be forfeited by the competent officer. In addition to the forfeiture of the respective earnest money, if in re-sale of the tender the value of the approved tender is less than the one received from the earlier approved tender amount, the difference will be recoverable in the form of arrears of land revenue of the previous tenderer. If the value is higher than the previous tender, there will be no right of former tenderer on this excess amount.
12. After expiry of the contract period or completion of the work, whichever is earlier, the tenderer will, after inspection of the area by the Estate Officer, submit the certificate issued by the Estate Officer, to the effect that no harm has been done to the trees or the area, then only his earnest money will be refunded.
13. Tenderer will not cause any kind of damage or harm to trees. This contract will be only for getting the fruits from trees. Any other use of the area by the contractor will be illegal. If any harm is caused to trees, the damages will be deducted from the earnest money. In this regard, the decision of Director, Indira Gandhi National Forest Academy will be final and accepted to the tenderer.



6. निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण राशि एक साथ जमा की जाएँ और यह राशि स्वीकृति सूचना के दो सप्ताह के अन्दर जमा की जाएँ। निविदादाता द्वारा समस्त राशि स्वीकृति सूचना के दो सप्ताह के अन्दर जमा करने में विफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि को अकादमी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और स्वीकृति निविदा का निस्तारण अकादमी द्वारा इसके पुनः आवंटन द्वारा किया जा सकेगा। जिस हेतु निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
7. कोई भी निविदा बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार अकादमी सुरक्षित रखती है। स्वीकृत निविदाकार को डाक द्वारा सूचित किया जाएगा।
8. निविदाकार स्वयं, निविदा भरने से पूर्व बगीचे का निरीक्षण करके जहां है एवं जैसा है की स्थिति में तथा अनुमानित फसल इत्यादि के विषय में संतुष्टि कर लें। माल के विषय में संस्थान कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है और न ही आश्वासन देता है।
9. निविदा स्वीकृत करने की तिथि से ठेके की अवधि समाप्त होने तक फलों की फसल को किसी प्रकार की क्षति के लिए अकादमी किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेगी।
10. निविदा खुलने से पूर्व यदि निविदाकार चाहे तो लिखित सूचना देकर निविदा वापस ले सकता है। ऐसी निविदा खोली नहीं जायेगी।
11. निविदा खुलने के पश्चात् निविदाकार अपनी निविदा वापस नहीं ले सकेगा। निविदा खुलने के पश्चात् स्वीकृत निविदाकार द्वारा अस्वीकार करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी। संबंधित बयाना राशि जब्त किये जाने के अतिरिक्त संबंधित बगीचे के पुनः विक्रय में यदि पूर्व स्वीकृत निविदा राशि से कम मूल्य प्राप्त होता है, तो अन्तर की राशि पूर्व निविदाकार के भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली जाने योग्य होगी। पूर्व निविदा से अधिक मूल्य मिलने पर अधिक राशि पर पूर्व निविदाकार का कोई अधिकार नहीं होगा।
12. निविदाकार ठेका अवधि या कार्य पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो, क्षेत्र का निरीक्षण सम्पदा अधिकारी से करवाकर यह प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगा कि पेड़ों या क्षेत्र को कोई क्षति नहीं पहुँची है, तभी उसकी जमानत राशि वापस की जायेगी।
13. निविदाकार वृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाएंगे। यह ठेका वृक्षों से फल प्राप्त करने के लिए ही होगा। ठेकेदार द्वारा क्षेत्र का कोई अन्य उपयोग अवैध होगा। यदि वृक्षों को कोई क्षति पहुँचती है तो उसका हर्जाना जमानत राशि से काट लिया जायेगा। इस संबंध में निदेशक, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी का निर्णय अन्तिम तथा निविदाकार द्वारा मान्य होगा।

14. On acceptance by the competent authority, the tenderer will take possession of the contract from the Estate Officer. On deposit of the entire tender amount, written order to pluck the fruits shall be obtained from the Estate Officer.
15. The contractor will be responsible for cleaning of the orchard at every three months. The tenderer will have to clear Lantana bushes along with the grass from orchard every three months at his own expenses.
16. While plucking fruits, thick branches of trees should not be broken or harmed. The contractor can be allowed to make proper arrangements to protect and prevent the theft of fruits from the unwanted elements, but making unnecessary noise and use of explosives without permission will be prohibited. Any specific work that can cause problems to the residents of the residential complex will require prior permission from the estate officer. Generally, use of pesticides and other chemicals in the orchard is prohibited. In special condition this can be permitted after no objection certificate is issued by Estate Officer, IGNFA and a state level officer from Horticulture department that spray of the pesticides which they intend to spray in the orchard inside residential complex will not harm the residents of the complex, then only they shall be allowed to spray.
17. As the trees are inside the residential premises of the academy, the tenderer will have to obtain the prior written permission along with the names of the persons or labours whom he will authorise to protect the fruits, look-after the trees, plucking and sending the fruits, from the academy administration otherwise security personnel may not allow their entry to the orchard. If the behavior of a person authorized by the tenderer is found to be suspected, his entry to the orchard will be banned. The identity cards shall be issued by the Academy to the employees of the contractor.
18. If the vehicles are required to carry the fruits, the contractor will have to inform in advance the type of vehicle, registration number of vehicle etc. to the academy administration and to obtain the entry passes for the vehicles, otherwise the security personnel can restrict the vehicles to enter. No vehicle will be allowed to load or to move out after loading the fruits beyond 9.00 pm. Gate pass will be issued to each truck/trolley to carry fruits.
19. The contractor will have to arrange the supply of power himself. Academy will not be responsible for power supply.
20. The contractor will have to take water for drinking and to prepare food from the tap provided to the security personnel. It will not be allowed to make it messy and to bath near the tap. For using the aforesaid water the contractor will have to pay Rs.3000/- per annum. Water will be arranged by the contractor for any purpose other than food, drinking and bathing.
21. Successful tenderer will visit the office within a week of receiving the notice of acceptance and will have to sign a separate agreement containing all the conditions pertaining to the tender.


14. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति मिलने पर निविदाकार ठेके का कब्जा सम्पदा अधिकारी से लेंगे। निविदा राशि पूर्ण रूप से जमा होने पर सम्पदा अधिकारी से फल तोड़ने का लिखित आदेश प्राप्त करेंगे।
15. बगीचे की हर तीन माह में सफाई करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। निविदाकार को लेंटेना की झाड़ियों के साथ-साथ बगीचे की घास-फूस हर तीन महीने में अपने खर्च पर साफ करानी होगी।
16. फलों की तुड़ाई करते समय वृक्षों की मोटी शाखाएं न तोड़ी जाए व उन्हें नुकसान न पहुंचाया जाए। फलों की सुरक्षा व अवांछित-तत्वों द्वारा फलों की चोरी रोकने हेतु ठेकेदार द्वारा उचित व्यवस्था करने की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु अनावश्यक शोर-शराबा व धमाकेदार वस्तुओं का बगैर अनुमति प्रयोग निषेध रहेगा। किसी विशेष कार्य, जिससे आवासीय परिसर के निवासियों को परेशानी होती हो, करने के पूर्व सम्पदा अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। बाग में कीटनाशकों व अन्य रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग सामान्यतः वर्जित होगा। विशेष परिस्थितियों में सम्पदाधिकारी, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी एवं Horticulture विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी से इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि जिस कीटनाशक का छिड़काव आवासीय परिसर में स्थित बगीचे में करना चाहते हैं वह वहाँ के निवासियों के लिए सुरक्षित है, इसके पश्चात ही उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी।
17. फलों के पेड़ अकादमी के आवासीय परिसर में होने के कारण निविदाकार द्वारा प्राधिकृत जिन व्यक्तियों या मजदूरों, जिन्हें फलों के सुरक्षा, पेड़ों के रख-रखाव, फलों को तोड़ना तथा निकास करने के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करना होगा उन्हें अकादमी के प्रशासन से नामजद पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी अन्यथा सुरक्षा कर्मचारी उन्हें बाग में प्रवेश करने से रोक सकेंगे। निविदाकर्ता द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति का आचरण यदि संदेहास्पद पाया गया तो उसके बाग में प्रवेश पर रोक लगा दी जायेगी। ठेकेदार के कर्मचारियों को अकादमी द्वारा परिचय पत्र जारी किया जायेगा।
18. फलों के निकासी हेतु यदि वाहनों की आवश्यकता हो तो इसके लिए भी वाहनों के प्रकार, नम्बर आदि पूर्व से सूचित कर ठेकेदार को अकादमी प्रशासन से प्रवेश-पत्र प्राप्त करना होगा, अन्यथा सुरक्षा कर्मचारी वाहनों के प्रवेश को रोक सकेंगे। रात्रि 9:00 बजे के बाद किसी वाहन द्वारा फलों को भरने या भरने के बाद बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक ट्रक/टरोली से फल ले जाने हेतु गेट पास जारी किया जायेगा।
19. ठेकेदार को विद्युत आपूर्ति हेतु अपना प्रबन्ध करना होगा। अकादमी विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं होगी।
20. ठेकेदार को पीने व खाने के प्रयोग आदि के लिये पानी सुरक्षा कर्मचारियों को दिये गये नल से लेना होगा। नल के पास गन्दगी करने व नहाने की अनुमति नहीं होगी। उक्त पानी के प्रयोग हेतु ठेकेदार को प्रति वर्ष रू3000/- रुपया अदा करना होगा। खाने, पीने और नहाने के अतिरिक्त किसी और कार्य हेतु पानी की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जायेगी।
21. सफल निविदाकार को स्वीकृति सूचना प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर कार्यालय में उपस्थित होकर पृथक से एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसके अधीन समस्त निविदा की शर्तें भी होगी।

22. After the opening of the tender, the Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun or the officer authorized by him will have full right to accept or reject any tender without assigning any reason and in case there are more than one similar tenders, he will have the right to arrange a meeting with the respective tenderers and thereby accepting the increased amount through negotiation.
23. All disputes arising out of the tender shall be subject to the Dehradun jurisdiction.
24. The approved contract will be for only one year i.e year 2020. The duration of which will expire on 31/12/2020.
25. (a) All the persons who are to be employed by the contractor at the orchard to work under this contract must be from the state of Uttarakhand. However, in case the contractor wants to deploy any person from other states for work, it will be mandatory to carry out 14 days of Quarantine before deploying them to work and after completion of the Quarantine period a certificate to this effect should also be produced to the Estate Office, IGNFA. It is also directed that the persons who will be employed for the work will also have to submit a health certificate from a Medical Doctor only after that they will be allowed inside the IGNFA residential complex to work in the Lichi Orchard.
- (b) The contractor will be bound to follow the guidelines issued by DM, Dehradun & Health Department of the State of Uttarakhand, issued in view of outbreak of COVID-19 Virus.
- (c) Copies of Aadhaar cards of all deployed persons shall have to be submitted to the Academy and after obtaining the passes issued by the Academy, they will be allowed to enter the orchard. All the persons deployed by the contractor shall require to wear the pass issued by the academy around neck all the time.
- (d) All the persons deployed by the contractor shall have to undergo thermal scanning every day by the security guard present at the gate of the academy residential campus.
- (e) Those who will be given a pass to enter the academy residential complex will all be bound to perform their duty inside the orchard only and they must not engage themselves in activities like sitting on the road, sitting near the security guard, or roaming around the residential campus, or talking to an employee etc. If someone is found doing this, the contract may be cancelled, and action will be taken against you as per the rules.

  
Estate Officer

**Indira Gandhi National Forest Academy  
Dehradun**

22. निविदा खुलने के पश्चात निदेशक, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून या उनके द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी को किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा तथा एक से अधिक एक समान निविदा होने पर संबंधित निविदाकारों के साथ एक बैठक करके राशि को बातचीत समझौते के माध्यम से बढ़ाकर स्वीकार करने का अधिकार होगा।
23. निविदा के सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।
24. स्वीकृत ठेका केवल एक वर्ष 2020 के लिए स्वीकृत होगा। जिसकी अवधि दिनांक 31/12/2020 को समाप्त हो जाएगी।
- 25- (क) ठेकेदार द्वारा जिन व्यक्तियों को कार्य पर लगाया जाएगा वे सभी व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य के होने चाहिए। फिर भी, यदि किसी कारणवश ठेकेदार द्वारा किसी व्यक्ति को दूसरे राज्य से कार्य हेतु बुलाया गया तो उन्हें कार्य पर लगाने से पूर्व 14 दिन तक Quarantine करना अनिवार्य होगा और Quarantine की अवधि पूर्ण होने के पश्चात इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी सम्पदाधिकारी, इ०गॉ०रा०व०अ० के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिन व्यक्तियों को कार्य पर लगाया जाएगा उनके संबंध में डॉक्टर द्वारा जारी एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, उसके पश्चात ही उन्हें इ०गॉ०रा०व०अ० आवासीय परिसर में लीची बाग में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।
- (ख) कोविड-19 वायरस प्रकोप के संबंध में जिलाधिकारी, देहरादून तथा उत्तराखण्ड राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना ठेकेदार के लिए अनिवार्य होगा।
- (ग) जो व्यक्ति कार्य पर लगाये जायेंगे उन सभी व्यक्तियों के आधार कार्डों की प्रतियाँ अकादमी कार्यालय में जमा करनी होंगी और उसके पश्चात अकादमी द्वारा जारी पास मिलने के उपरान्त ही उन्हें बाग के अन्दर जाने की अनुमति दी जाएगी। जो पास अकादमी द्वारा जारी किया जाएगा उसे प्रत्येक व्यक्ति को हर समय अपने गले में पहनना अनिवार्य होगा।
- (घ) अकादमी आवासीय परिसर के गेट पर उपस्थित सुरक्षा गार्ड के पास प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन थर्मल स्कैनिंग (Thermal scanning) करानी अनिवार्य होगी।
- (ङ) जिन व्यक्तियों को अकादमी आवासीय परिसर के अंदर आने हेतु पास दिया जाएगा वे सभी केवल बाग के अंदर ही रहेंगे और रोड पर बैठना, सुरक्षा गार्ड के पास बैठना, या किसी आवासीय परिसर के पास घूमना, या किसी कर्मचारी से बातें आदि कार्यों में संलग्न नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया तो आपके साथ हुए अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है और आपके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

  
 सम्पदाधिकारी  
 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी  
 देहरादून